पंचदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक 18.07.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री प्रेम रंजन पटेल, स०वि०स० श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री रामायण मांझी, स०वि०स० श्री सुरेन्द्र मेहता, स०वि०स० श्री प्रेम कुमार, स०वि०स० श्री राम नरेश यादव, स०वि०स० श्री विभाष चन्द्र चौधरी, स०वि०स० श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० श्री अमन कुमार, स०वि०स० श्री व्यास देव प्रसाद, स०वि०स० श्री गोपाल जी ठाकुर, स०वि०स० श्री आलोक रंजन, स०वि०स० श्रीमती सुखदा पांडेय, स०वि०स० श्री अरूण कुमार सिन्हा, स०वि०स० श्री महेश पासवान, स०वि०स०	"कटिहार जिलान्तर्गत कटिहार से बस्तौल-प्राणपुर रोड स्टेशन-लाभा होते हुए दिल्ली-दिवानगंज की 28 कि०मी० एन०एच०-81 की सड़क का निर्माण तथा उसके बीच मनियाँ, बुद्धनगर, कुचियाही, प्राणपुर स्टेशन के समीप तथा खुशहालपुर पुलों का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से कराया जा रहा है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है । यह सड़क बिहार-बंगाल को भी जोड़ती है । सड़क निर्माण में गुणवत्ता का भी पालन नहीं हुआ है । अतः उक्त सड़क तथा पुलों का निर्माण कार्य पूरा कराने के साथ-साथ गुणवत्ता की उच्चस्तरीय जाँच कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	पथ निर्माण

1	2	3	4
2.	श्री अम्बिका सिंह, स०वि०स० श्री जितेन्द्र कुमार राय, स०वि०स० श्री उमा कांत यादव, स०वि०स० डा० रामानन्द यादव, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स०	"रोहतास जिला के डिहरी इन्द्रपुरी बराज से शाहाबाद प्रक्षेत्र में कैमूर, रोहतास, बक्सर एवं आरा जिलों में सिंचाई हेतु वर्ष 2005 में सोन मुख्य नहर से सामानान्तर 8000 क्यूसेक क्षमता की दूसरे नहर की खुदाई की गयी है । उसमें रेगुलेटर भी लग चुका है । इस समानान्तर नहर की 80 फीसदी खुदाई का कार्य भी हो चुका है परन्तु मात्र 20 फीसदी कार्य वर्ष 2005 के बाद से ही विभागीय उदासीनता एवं लापरवाही के कारण पूरा नहीं किया गया है जिस कारण से उक्त जिलों के किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है । फलस्वरूप कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है । अत: उपरोक्त कार्य को अविलम्ब पूर्ण करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	जल संसाधन

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-23/14- 1070 / वि०स०, पटना, दिनांक- 17 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / पथ निर्माण विभाग तथा जल संसाधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17.7.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-23/14- 1070 / वि०स०, पटना, दिनांक- 17 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रति:-अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

17.7.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।